संख्याः 309995 /XXX(2)/2025–ई 24014

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 01 जुलाई ~~जून~~, 2025

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत श्रेणी 'क', 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का ससमय अंकन/निस्तारण किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या:78/XXX(2)/ 2022-55(26)/ 2002, दिनांक 11 फरवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत श्रेणी 'क', 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के ससमय अंकन न होने के क्रम में ऑफलाइन व्यवस्था को समाप्त कर एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल के अंतर्गत ऑनलाईन व्यवस्था बनाते हुए उक्त शासनादेश के माध्यम से वर्ष 2021–22 से सभी विभागों में लागू किया गया है।

2. ऑनलाईन ए0सी0आर0 मॉड्यूल में कार्मिकों के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करने पर पाया गया कि कतिपय कार्मिकों की ऑनलाईन ए0सी0आर0 विगत वर्षों यथा 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृता अधिकारियों के स्तर पर लम्बित प्रदर्शित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण बाधित हो रहे हैं।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्मिकों की विगत वर्षों के लम्बित ए0सी0आर0 को उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2022 के बिन्दु संख्या–2 में निर्धारित समय सारणी के अनुसार अनिवार्यतः निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित समय सारणी तक जिन कार्मिकों द्वारा अपनी स्वमूल्यांकन आख्या सिस्टम में अंकित नहीं की गई है अथवा प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृता स्तर से आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई, तो शासनादेश के प्रस्तर–2 (3) के क्रम में प्रकरण को पोर्टल द्वारा स्वतः ही अगले चरण को अग्रसारित कर दिया जायेगा। पोर्टल द्वारा स्वतः अग्रसारित कर दिये जाने के उपरांत पूर्ववर्ती चरण की कार्यवाही हेतु अवसर समाप्त समझा जायेगा एवं 30 जून के उपरांत विगत वर्षों के बैच क्रिएशन के ऑप्शन को सिस्टम में फ्रीज कर दिया जायेगा।

अतः कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के निस्तारण हेतु सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बित ऑनलाईन ए0सी0आर0 प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह के अंत में अनुपालन आख्या कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायेगें। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

Digitally signed by Anand Bardhan
Date: 28-06-2025
12:21:20

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव।

संख्याः 309995 (1)/XXX(2)/2025–ई 24014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया पोर्टल से सम्बन्धित उपरोक्त

प्रस्तर–3 में दिये गये निर्देश के क्रम में समयान्तर्गत अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shailesh Bagauli
Date: 01-07-2025
16:33:21

(शैलेश बगौली)
सचिव।